रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 1994/अग्रहायण 11, 1916
No. 489] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 1994/AGRAHAYANA 11, 1916

COMPLETED
पूरा कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1994

सा. का. नि. 833(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1994 कहलाएंगे।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 (1) की अनुसूची 1 में क्रम सं. 3 और उससे संबंध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

क्रम सं.	पासपोर्ट अधिकारी	क्षेत्राधिकारी
1	2	3
"3	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली। (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, और रोहतक जिले।
	(ग) जनसंपर्क अधिकारी, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य के, मेरठ, गाजियाबाद जिले तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले।
	(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव सोनीपत तथा रोहतक जिले।"

Attested

2739 GI/94

(I)

Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publications
(Ministry of Urban Development)